कार्यालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

श्री बैजनाथ पाण्डेय,
पिता स्व0 अनुप पाण्डेय,
ग्राम— गुमो, वार्ड नं0 22,
झु0 ति0, जिला—कोडरमा।

विविध वाद सं0 23 / 2017—18

19/7/17 आवेदक श्री बैजनाथ पाण्डेय, पिता स्व0 अनुप पाण्डेय, ग्राम गुमो, वार्ड नं0 22, झु0 ति0, जिला—कोडरमा के द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा गुमो, थाना नं0 12, खाता नं0 544, प्लॉट नं0 5512 रकवा 06, एवं प्लॉट नं0 5514 रकवा 41.75 डी0, कुल रकवा 47.75 डी0 भूमि की सरकारी रसीद आवेदक की मां स्व0 बिमला कुमारी के नाम से निर्गत होते आ रहा था, जिसका जमाबन्दी पंजी ।। के पेज नं0 44 / 03 में चल रहा था। पंजी ।। फटा होने के कारण राजस्व कर्मचारी के द्वारा मालगुजारी रसीद निर्गत नहीं किया जा रहा है। आवेदक द्वारा उक्त जमीन का अद्यतन मालगुजारी रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है। अतएव उक्त भूमि के संबंध में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन की मांग करें।

अभिलेख दिनांक 18/8/17 को उपस्थापित करें।

19/07/2017
अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

18/8/17 अभिलेख उपस्थापित।

17/10/17 हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉच कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदित किया गया है कि स्थानीय जांच के क्रम में पाया गया कि मौजा गुमो, थाना नं0 12, खाता नं0 544, प्लॉट नं0 5512 रकवा 06डी॰एवं प्लॉट नं0 5514 रकवा 41.75 डी0, कुल रकवा 47.75 डी0 भूमि का जमाबन्दी पंजी ।। के पेज नं0 44 / 3 पर बिमला कुमारी के नाम से दर्ज था। उक्त भूमि रैयती खाते की है। उक्त भूमि की जमाबन्दी पंजी ।। वर्षों पुराना होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है। जिस कारण जमाबन्दी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। स्थल जांच के कम में त्रिवेणी पाण्डेय पिता स्व0 जुगेश्वर पाण्डेय, राधेश्याम पाण्डेय पिता बालगोविन्द पाण्डेय, गिरजा देवी पति रामेश्वर कुम्हार, महेश राम पिता भीखन राम, भुवनेश्वर ठाकुर पिता कुंजो हजाम वगैरह से पुछताछ की गई। इनके द्वारा बताया गया कि उक्त जमीन पर आवेदक का दखल कब्जा है। किसी के द्वारा आपति दर्ज नहीं कराया गया है।

आवेदक के द्वारा लगान रसीद 856661 दिनांक 11.03.1974, 724158 वर्ष 1965—66 की छायाप्रति संलग्न किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि का जमाबन्दी पंजी ।। पर बिमला कुमारी के नाम से दर्ज था।

Scanned with CamScanner

अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार मौजा गुमो, थाना नं0 12, खाता नं0 544, प्लॉट नं0 5512 रकवा 06, एवं प्लॉट नं0 5514 रकवा 41.75 डी0, कुल रकवा 47.75 डी0 भूमि का स्थानीय जांच आवेदक की उपस्थिति में किया गया, जिसमें पाया गया कि संबंधित भूमि परती टांड है। स्थल पर आवेदक द्वारा संबंधित भूमि पर अपना दखल कब्जे बताया गया। दखल कब्जे से संबंधित लेख्य प्रमाणक, कोडरमा द्वारा निर्गत शपथ पत्र सं0 04 दिनांक 08.08.17 संलग्न किया गया है, जिसमें उल्लेखित किया गया कि वर्णित भूमि हमारे दखल कब्जे में है, जिसका बिक्री या बंधक नहीं किया गया है, अगर किसी प्रकार का त्रुटि भविष्य में पाया गया तो मेरा काबिज जमाबन्दी घटाकर क्रेता के नाम से कर दी जाय। स्थल पर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का कोई आपति नहीं किया गया।

उल्लेखनीय है कि फटे हुये पंजी ।। का नया जमाबन्दी खोलने हेतु अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के आदेश ज्ञापांक 140/रा0 दिनांक 02.02.16 से दिशा निर्देश प्राप्त है।

राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर अंचल अमीन के मापी प्रतिवेदन के अनुसार मौजा गुमो अर्न्तगत खाता नं0 544, प्लॉट नं0 5512 रकवा 06, एवं प्लॉट नं0 5514 रकवा 41.75 डी0, कुल रकवा 47.75 डी0 पर आवेदक का दावा स्पष्ट है। राजस्व अभिलेखों की त्रुटि के लिए रैयत के हित को प्रभावित किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। राजस्व हित में संबंधित भू–भाग से राजस्व की वसूली राज्य हित में है। ऐसे मामले में अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा जमाबन्दी कायम करने का आदेश प्राप्त है।

अतः उपर्युक्त के आलोक में मौजा गुमो, थाना नं0 12, खाता नं0 544, प्लॉट नं0 5512 रकवा 06, एवं प्लॉट नं0 5514 रकवा 41.75 डी0, कुल रकवा 47.75 डी0 भूमि की जमाबन्दी पूर्व की भांति जमाबंदीधारक बिमला कुमारी पति स्व0 अनुप पाण्डेय के नाम से कायम करने का आदेश दिया जाता है। संबंधित राजस्व कर्मचारी अनुपालन प्रतिवेदन एक पक्ष के अन्दर प्रस्तुत करें।

17/10/2017

अंचल अधिकारी,
कोडरमा ।

Scanned with CamScanner